covid 19 sI

:: कार्यालय आदेश ::

शासनादेश संख्या–720 / 2021–सीएक्स–3, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ, दिनांकित 20.04.2021 के कम मे कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सबंध में शासनादेश संख्या–729 / 2021–सीएक्स–3, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ, दिनांकित 30.05.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन मे आदेशित किया जाता है कि जनपद मेरठ में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर दिनांक 31 मई, 2021 से लेकर 01 जून, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक पूर्व आदेश लागू रहेंगें एंव दिनांक 01 जून, 2021 से प्रातः 07.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू मे निम्नवत् गतिविधियां इस शर्त के साथ अनुमन्य होंगी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सांय 7.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक लागू रहेगा एंव शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बन्दी / कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा :–

1– जनपद मेरठ में अद्यतन सक्रिय कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 600 से काफी अधिक है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस की संख्या 600 से कम होगी, बाजारों / दुकानों को खोलने के सम्बन्ध में उपर्युक्त वर्णित शासनादेश संख्या–729 / 2021–सीएक्स–3, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ, दिनांकित 30.05.2021 के अनुसार पुनः आदेश जारी किया जाएगा। तब तक जनपद मेरठ में किराना, फल, सब्जी एंव दूध की दुकानों के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व निर्गत आदेश सं0–1195 / एसटी–नगर / कोविड–19 / आदेश / 2021, दिनांकित 05.05.2021 के अनुक्रम में किराना, फल, सब्जी की दुकानें प्रातः 08.00 बजे से पूर्वाहन 11.00 बजे तक एंव दूध की दुकानें (दूध वितरण) प्रातः 07.00 बजे से 10.00 बजे तक एंव सांय 05.00 बजे से 07.00 बजे तक खुलेंगी।

2– कोरोना के अभियान से जुडे फन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एंव शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगें एंव जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगें, उनको रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

3– निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता / दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुलेंगें। निजी कम्पनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्यता होगी।

4– औद्योगिक संस्थान खुली रहेंगें एंव इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई.डी. कार्ड या इकाई के प्रमाण–पत्र के आधार पर आने–जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

5– सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी गण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

6– रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंव रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सेनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ–साथ स्कीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी, जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी।

7– समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में, औद्योगिक इकाई में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एंव मण्डी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा, जिससे थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एंव सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिसटर की व्यवस्था की जायेगी एंव संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम, आई.डी. कार्ड व मोबाइल नं0) भेजी जायेगी, जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्कीनिंग व टेस्टिंग तत्काल करायी जा सके।

8– स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगें। माध्यमिक एंव उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक / माध्यमिक / उच्च शिक्षा के शिक्षकों एंव कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यो हेतु विद्यालय आने–जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।

9– बैंकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें / कार्यालय खुले एंव कियाशील रखे गये हैं। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ दो गज की दूरी के नियमों / कोविड प्रोटोकाल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जा रही है। बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक / वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आई.डी. के आधार पर रोका न जाये तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा न डाली जाये।

10– रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई–वे व एक्सप्रेस–वे के किनारे ढाबे तथा ठेले / खोमचे वालों को खोलने की अनुमति, दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी।

30/5

Scanned by CamScanner

11– ट्रांसपोर्ट कम्पनियो के कार्यालय, लॉजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कम्पनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

12– कन्टेनमेंट जोन को छोडकर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हों।

13– उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही सचालन किया जायेगा। स्टैण्डिंग की अनुमति नही होगी। संचालन के दौरान चालक/ परिचालको को मास्क/ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सेनेटाइजेशन किया जायेगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनो पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिग अनिवार्य रूप से की जाये। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के साथान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि आवश्यकता पडने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।

14– दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियो को हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 3 पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई7रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एंव चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

15– अंडे, मांस एंव मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ–सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विकय न किया जाए। उपरोक्त दुकानें साप्ताहिक बन्दी के दिन अर्थात् शनिवार, रविवार को छोडकर बाकी 05 दिन प्रातः 08.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक ही खुलेंगी।

16– समस्त जनपद में गेंहूं कय केन्द्र एंव राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।

17– कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।

18– वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।

19– राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड–19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क की अनिवार्यता व सेनेटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेंगें। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये, जिससे अनावश्यक भीड–भाड न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगें।

20– बाढ आदि की तैयारी के कम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगें, साथ–साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एंव बिल काउन्टर भी खुलेंगें।

21– कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एंव शापिंग मॉल्स पूर्णतः बन्द रहेंगें।

22– जनपद में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड–19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगें।

23– शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी:–

(i) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एंव कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

(ii) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी को प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(iii) आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ–सफाई एंव सेनेटाइजेशनकी समुचित व्यवस्था रखी जायेगी।

उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

24– शव–यात्रा में कोविड–19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगें।

25– कोरोना की रोकथाम हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये। जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाये कि सभी नागरिक कोरोना गाइड लाइन्स का स्वंय पालन कर इस महामारी से लडने में अपना सहयोग प्रदान करें।

30/5

Scanned by CamScanner

उपरोक्त के अतिरिक्त कन्टेन्मेंट जोन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–755/2021–सीएक्स–3, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ, दिनांकित 25.04.2021 की व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

उपरोक्त का उल्लंघन महामारी अधिनियम–1867 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश–2020, आपदा मोचन अधिनियम–2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता–1860 की धारा–188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

(के. बालाजी)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या– 1240 /एसटी–नगर/कोविड–19/आदेश/2021/ दिनांक– 30 मई, 2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
4. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, जनपद मेरठ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ ।
7. मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, मेरठ।
8. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
9. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत। (द्वारा–एलबीसी)
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ।
11. जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि इस आदेश का प्रकाशन विभिन्न समाचार–पत्रों में निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें।

(के. बालाजी)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

Scanned by CamScanner